उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Ltd.

(U.P. GOVT UNDERTAKING)

ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 CERTIFIED

Website: htt://www.uprnn.co.in
Fax- 0522-2720846
E-mail: info@uprnn.co.in
पंजीकृत कार्यालय :
विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ– 226010

EPBX 2720671, 2720665, 2 720670

Registered Office:
Vishweshwariya Bhawan, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010

पत्र संख्याः 36 / प्रब0(याँ0) / कोटेशन–निष्प्रयोज्य कबाड़ / रानिनि / 2017 दिनांक 03-04-2017

कोटेशन नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निर्माण निगम मुख्यालय में रखे हुए पुराने अनुपयोगी फर्नीचर, अनुपयोगी लोहे की छोटी एवं बड़ी अलमारियां, बिल्डिंग से निकाली गयी एम0एस0 रेलिंग, एम0एस0 फायर बाक्स, जी0आई0 एवं सी0आई0 पाइप स्क्रैप्स, विट्रीफाइड टाइल्स, एम0एस0विण्डो, कम्पोजिट ग्रेनाइट /मार्बल एवं अन्य कबाड़ सामग्री तथा शहीद पथ स्थित निगम स्टोर में रखे निष्प्रयोज्य फर्नीचरों को विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः जो भी व्यक्ति/फर्म इसे क्रय करने के लिए इच्छुक है, वह किसी भी कार्य दिवस में उक्त सामग्री का निरीक्षण कर अपना सील्ड कोटेशन रू0– 25,000.00 की धनराशि के ड्राफ्ट ('उ0प्र0रा0नि0नि0लि0 लखनऊ' के पक्ष में देय) के साथ प्रबन्धक (याँत्रिक) के कार्यालय में दिनांक 15.04.2017 को अपरान्ह 4:00 बजे तक प्राप्त कराने का कष्ट करें। उक्त तिथि के उपरान्त प्राप्त हुए कोटेशन पर कोई कार्यवाही नही की जायेगी। अन्तिम तिथि दिनांक 15.04.2017 तक प्राप्त हुए सील्ड कोटेशनों को दिनांक 17.04.2017 को अपरान्ह 4:00 बजे विक्रय समिति के सदस्यों एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। तुलनात्मक दरों के आधार पर अधिकतम मूल्य अंकित करने वाले निविदादाता को सामग्री विक्रय की जायेगी तथा यदि क्रेता व्यक्ति/फर्म के द्वारा सामग्री नही उठाई गयी तो जमानत धनराशि रू0– 25,000.00 जब्त करते हुए अन्य क्रेता को सामग्री विक्रय किये जाने पर विचार किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि कोटेशन में भरी गयी दरों पर कर/वैट अतिरिक्त रूप से निमयानुसार देय होगा। क्रेता व्यक्ति/फर्म द्वारा जमा किये गये रू0– 25,000.00 की धनराशि के ड्राफ्ट को कुल मूल्य में समायोजित कर लिया जायेगा एवं शेष व्यक्तियों/फर्मो को रू0– 25,000.00 की धनराशि का ड्राफ्ट मूलरूप में वापस कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति/ फर्म के कोटेशन को निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार निर्माण निगम को होगा। उपरोक्त सामग्री को जहाँ है, जैसी है, जिस स्थान पर है, की दशा में विक्रय किया जायेगा।

3/4/17

प्रबन्धक (याँत्रिक)